

सं०सं०-1/विधि-12/2018- 129 (1) व०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 26/03/2018

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 5,28,82,400/- (रुपये पाँच करोड़ अठ्ठाईस लाख बेरासी हजार चार सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश के रूप में ₹ 2,59,90,000/- (रुपये दो करोड़ उन्सठ लाख नब्बे हजार) मात्र एवं राज्यांश के रूप में ₹ 1,73,20,000/- (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश के रूप में ₹ 2,59,90,000/- (रुपये दो करोड़ उन्सठ लाख नब्बे हजार) मात्र एवं राज्यांश के रूप में ₹ 1,73,20,000/- (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०- 364(1) दिनांक- 26.03.2018

केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 5,28,82,400/- (रुपये पाँच करोड़ अठ्ठाईस लाख बेरासी हजार चार सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश के रूप में ₹ 2,59,90,000/- (रुपये दो करोड़ उन्सठ लाख नब्बे हजार) मात्र एवं राज्यांश के रूप में ₹ 1,73,20,000/- (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश के रूप में ₹ 2,59,90,000/- (रुपये दो करोड़ उन्सठ लाख नब्बे हजार) मात्र एवं राज्यांश के रूप में ₹ 1,73,20,000/- (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार) मात्र का आवंटन दी जाती है।

2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०- 364(1) दिनांक- 26.03.2018 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

3- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.2006 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.2008 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4- केन्द्रांश की राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0320-बर्न इन्जुरी के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआइ), पी०एफ०एम०एस० कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210031050320 अन्तर्गत निम्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा-

क्रमशः

← → → →

विषय शीर्ष	राशि
5201 मशीनें एवं उपस्कर -कार्यालय	1,29,40,000
5301 मुख्य निर्माण कार्य	1,30,50,000
कुल-	2,59,90,000

5- राज्यांश की राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0220-बर्न इन्जुरी के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआइ), पी0एफ0एम0एस0 कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210031050220 अन्तर्गत निम्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा-

विषय शीर्ष	राशि
5201 मशीनें एवं उपस्कर -कार्यालय	86,20,000
5301 मुख्य निर्माण कार्य	87,00,000
कुल-	1,73,20,000

6- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


7- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10- राशि की अग्रिम निकासी में माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


26/3/18

(सचि्वदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-12/2018- 129(1) ब० /स्वा०, पटना, दिनांक- 26/03/2018


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्रमशः

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


26/3/18
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 26/03/2018

विषय:— केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 5,28,82,400/- (रुपये पाँच करोड़ अठ्ठाईस लाख बेशसी हजार चार सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश के रूप में रु० 2,59,90,000/- (रुपये दो करोड़ उन्सठ लाख नब्बे हजार) मात्र एवं राज्यांश के रूप में रु० 1,73,20,000/- (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 5,28,82,400/- (रुपये पाँच करोड़ अठ्ठाईस लाख बेशसी हजार चार सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश के रूप में रु० 2,59,90,000/- (रुपये दो करोड़ उन्सठ लाख नब्बे हजार) मात्र एवं राज्यांश के रूप में रु० 1,73,20,000/- (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे:-

(क) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी०डब्ल्यू०डी० कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(च) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा, जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।

क्रमशः

← →

(छ) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना संबंधित MoU में वर्णित प्रावधान के अनुरूप कार्य करायेंगे। इस योजना हेतु प्राप्त राशि MoU की 9.1 – "Funds released under this project will be kept in interest bearing accounts in any designated nationalized bank or such banks as may be specified by Government of India." के आलोक में राष्ट्रीयकृत बैंक में interest bearing account खुलवाकर जमा करायेंगे।

3- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि0(2), दिनांक-06.05.2006 एवं 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.2008 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4- केन्द्रांश की राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0320-बर्न इन्जुरी के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआइ), पी0एफ0एम0एस0 कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210031050320 अन्तर्गत निम्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा-

विषय शीर्ष	राशि
5201 मशीनें एवं उपस्कर -कार्यालय	1,29,40,000
5301 मुख्य निर्माण कार्य	1,30,50,000
कुल-	2,59,90,000

5- राज्यांश की राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0220-बर्न इन्जुरी के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआइ), पी0एफ0एम0एस0 कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210031050220 अन्तर्गत निम्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा-


विषय शीर्ष	राशि
5201 मशीनें एवं उपस्कर -कार्यालय	86,20,000
5301 मुख्य निर्माण कार्य	87,00,000
कुल-	1,73,20,000

6- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

9- प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक-20.03.2018 के योजना क्रमांक-2 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है।




10- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-1/विविध-12/2018 के पृष्ठ-...3.../टि० पर प्राप्त है।

11- प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग की सहमति सं०सं०-1/विविध-12/2018 के पृष्ठ- ...4.../टि० पर प्राप्त है।

12- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13- यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन


26/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/विविध-12/2018 - 364(1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 26 / 03 / 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


26/3/18

सरकार के विशेष सचिव